राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 359/2014

दिनेश चन्द मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.04.2014
आदेश की दिनांक : 19.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री वाई. के. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमंत धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने एम.ए. बी.एड. की योग्यता धारित करने के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद के लिए आवेदन किया और उसे आदेश दिनांक 19.12.1998 (अनुलग्नक–1) द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी ने दिनांक 01.01.1999 को कार्यभार ग्रहण किया और आदेश दिनांक 26.05.2008 (अनुलग्नक–2) द्वारा उसका दिनांक 01.07.2001 से स्थायीकरण किया गया। अपीलार्थी के पास नियुक्ति के समय एम.ए. (अंग्रेजी), बी. एड. की योग्यता थी। अपीलार्थी ने वर्ष 1998 में एम.ए (अंग्रेजी) की योग्यता अर्जित की थी। अपीलार्थी के स्थायीकरण हेतु प्रस्तुत प्रपत्र में एम.ए (अंग्रेजी) की योग्यता दर्शित की है। अपीलार्थी की उक्त शैक्षणिक योग्यता के संबंध में राजकीय माध्यमिक विद्यालय म्याजलार जिलार जैसलमेर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को पत्र दिनांक 31.07.2009 द्वारा सूचित किया गया (अनुलग्नक–3)। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.05.2013 (अनुलग्नक–4) द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) को डीपीसी के माध्यम से स्कूल व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर पदोन्नत किया गया। लेकिन अपीलार्थी का नाम पदोन्नति सूची में उपलब्ध नहीं है। जबकि कनिष्ठ उम्मीदवारों को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी ने दिनांक 11.01.2013 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपने परिवाद का उल्लेख करते हुए दिनांक 01.03.2014 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपने वकील के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग

का नोटिस प्रस्तुत किया, परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी को दिनांक 19.12.1998 को वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर नियुक्त किया गया था और उसने वर्ष 1998 में एम.ए (अंग्रेजी) की योग्यता प्राप्त की थी। इस आधार पर पदोन्नति हेतु पात्र था, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वार बिना किसी कारण के अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने स्कूल व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर वर्ष 2009–10 से वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अस्थाई वरिष्ठता सूची उन कार्मिकों की जारी की, जो पदोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करते एवं विचारण सीमा में आते हैं। उक्त वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल होने की जानकारी प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना नाम वरिष्ठता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने कोई कार्यवाही नही की। बाद में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.05.2013 द्वारा अपीलार्थी की एम.ए की शैक्षणिक योग्यता सेवाभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में अंकित की गई, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने इसके बावजूद वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया। जिसके लिए अपीलार्थी विधिक रूप से पात्र है। आलोच्य आदेश दिनांक 29.05.2013 द्वारा अपीलार्थी पर विचार किए बिना उससे कनिष्ठ कार्मिकों को वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता स्कूल शिक्षा अंग्रेजी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही गैर कानूनी, अन्यायपूर्ण, अनुचित, मनमानी एवं नियम व कानूनी प्रावधान के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी की एम.ए. (अंग्रेजी) की डिग्री धारित होने के आधार पर अपीलार्थी को स्कूल व्याख्याता (अंग्रेजी) की पदोन्नति के लिए विचार करके पदोन्नति आदेश दिनांक 29.05.2013 के अनुसार अपीलार्थी को उस तिथि से पदोन्नति प्रदान की जावे, जिस तिथि से उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गई है एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानानुसार डीपीसी के समय संबधित वरिष्ठता सूची में दर्ज नियमों में निर्धारित योग्यताधारक सभी पात्र अभ्यार्थियों की पात्रता सूची निर्मित की जाकर उसमें से पात्र अभ्यार्थियों का नियमानुसार चयन किया जाता है। इस प्रकार प्राध्यापक स्कूल शिक्षा अंग्रेजी पुरूष वर्ग हेतु चयन वर्ष 2012–13 तक की रिक्तियों पर चयन हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने की तिथि को अपीलार्थी से संबंधित द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद हेतु जारी वरिष्ठता सूची वर्ष 2004–05 में अपीलार्थी की एम.ए अंग्रेजी की योग्यता दर्ज नहीं होने के कारण पात्रता सूची में अपीलार्थी को सम्मिलित नहीं

किया गया। अपीलार्थी का संबंधित वरिष्ठता सूची में एम.ए अंग्रेजी की योग्यता का इन्द्राज डीपीसी बैठक आयोजित किये जाने के उपरांत विभाग के आदेश दिनांक 25.09.2013 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार इसमें कोई अनियमितता अथवा विधि विरूद्ध कोई कार्यवाही विभाग स्तर पर नहीं की गयी है। चूंकि अपीलार्थी का संबधित वरिष्ठता सूची में डीपीसी के समय एमए अंग्रेजी की योग्यता का विवरण दर्ज ही नहीं था इसलिये अपीलार्थी को सम्मिलित किया जाना संभव नहीं था। इसप्रकार सभी मण्डल स्तर पर पहले अस्थाई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है, उसके पशचात् मण्डल स्तर पर स्थाई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाती है, सभी मण्डल स्तर पर प्रकाशित वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर संबधित अवधि हेतु राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाकर उस पर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है, प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये राज्य स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाती है। अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठता सूची में एम.ए. अंग्रेजी की योग्यता दर्ज करवाने हेतु मण्डल स्तर अथवा राज्य स्तर हेतु प्रकाशित अस्थाई वरिष्ठता सूचियों के सम्बध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की और नोटिस के आधार पर अपील पेश कर पदोन्नति की मांग कर रहा है, जो नियमानुसार विचार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलार्थी को नोटिस के निस्तारण या 6 माह बाद अपील पेश की जा सकती है। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के अधिनियम की धारा 4 ए में प्रावधान है, लेकिन अपीलार्थी के द्वारा उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करते हुये माननीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश कर दी, जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी का विवाद 2004–05 में द्वितीय श्रेणी अध्यापक की जारी वरिष्ठता सूची तथा व्याख्याता अंग्रेजी विषय के पदोन्नति आदेश दिनांक 29.05.2013 के साथ ही उत्पन्न हो गया था लेकिन अपीलार्थी के द्वारा विभाग में एम.ए. अंग्रेजी की योग्यता को दर्ज नहीं करवाया गया और न ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील नियत समयावधि में अपील पेश की। अतः प्रस्तुत अपील अत्यंत विलंब से पेश होने के कारण मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बी.एस बाजवा बनाम पंजाब राज्य में एससीसी 1998 (2) पेज 523 में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि एक बार वरिष्ठता का निर्धारण होने के पश्चात लंबे अंतराल के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर (द्वितीय वेतन श्रृंखला) दिनांक 19.12.1998 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर द्वारा की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 26.05.2008 (अनुलग्नक–2) द्वारा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर स्थायीकरण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.05.2013 द्वारा अपीलार्थी का प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (अंग्रेजी) के पद पर पदोन्नति नही होने पर यह अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थी को उसके द्वारा एम.ए अंग्रेजी की योग्यता धारित करने के आधार पर व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नत किये जाने और उससे कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नत किये जाने की तिथि से समस्त परिलाभ दिये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे स्पष्ट हो कि उनके द्वारा एम.ए अंग्रेजी की योग्यता कब धारित की गई। बहस के दौरान अवगत कराया गया कि सेवा में नियुक्ति के समय अपीलार्थी एम.ए अंग्रेजी का योग्यताधारी था, परन्तु इस संबंध में भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता एम.ए अग्रेजी विभाग द्वारा जारी वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता सूची 2004–05 में दर्ज नहीं होने के कारण अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु तैयार की गई पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया है और अपीलार्थी का वरिष्ठता सूची में एम.ए अंग्रेजी की योग्यता का इन्द्राज डीपीसी बैठक आयोजित किये जाने के बाद में विभाग के आदेश दिनांक 25.09.2013 के द्वारा किया गया है। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानानुसार डीपीसी के समय संबधित वरिष्ठता सूची में दर्ज नियमों में निर्धारित योग्यताधारक सभी पात्र अभ्यार्थियों की पात्रता सूची निर्मित की जाकर उसमें से पात्र अभ्यार्थियों का नियमानुसार चयन किया जाता है। अपीलार्थी ने जारी वरिष्ठता सूची पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की एवं वरिष्ठता सूची तथा सेवाभिलेख में एम.ए अंग्रेजी की योग्यता जुडवाने हेतु पूर्व में कभी भी आवेदन नहीं किया। आलोच्य पदोन्नति आदेश जारी होने पर विभाग को एम.ए अंग्रेजी की योग्यता अंकित करने हेतु आवेदन करने पर आदेश दिनांक 25.09.2013 द्वारा योग्यता सूची में जोडा जा चुका है। आलोच्य आदेश दिनांक 29.05.2013 द्वारा वर्ष 2009–10 से वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है। साथ ही निवेदन किया कि पदोन्नति आदेश दिनांक 29.05.2013 के विरूद्ध अपील वर्ष 2014 में अत्यंत विलंब से प्रस्तुत करने के आधार पर अपील खारिज किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से उपस्थित विभागीय प्रभारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि डीपीसी दिनांक 15.06.2015 द्वारा अपीलार्थी को प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (अंग्रेजी) के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी एम.ए (अंग्रेजी) की शैक्षणिक योग्यता को रिकॉर्ड एवं वरिष्ठता सूची में समय पर अंकित नहीं कराने से उसे आलोच्य आदेश दिनांक 29.05.2013 द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा (अंग्रेजी) के

पद पर पदोन्नत नहीं किया गया एवं उसके द्वारा आवेदन करने पर उसके सेवाभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में उसकी शैक्षणिक योग्यता का अंकन किया जाकर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य